

प्रेस नोट दिनांक 19.03.2025

थाना सीबीगंज बरेली ।

थाना सीबीगंज #bareillypolice द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन व 02 चाकू नाजायज बरामद।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 18.03.2025 को वादी श्री कुलदीप मौर्य पुत्र कन्धईलाल नि० ग्राम पस्तोर थाना सीबीगंज जनपद बरेली ने सूचना दी कि मैं समय करीब 18.00 बजे खलीलपुर तिराहे से गुजर रहा था कि तभी अचानक 02 अज्ञात लडके मेरा ओपपो फोन छीन के भाग गये। प्राप्त सूचना पर मु०अ०सं० 130/25 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

थाना सीबीगंज पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 18.03.2025 को समय 23.30 बजे अभियुक्तगण 01. शुलभ सिंह पुत्र वेदपाल सिंह निवासी शिवज्ञान मन्दिर इन्टर कालेज के सामने गली में मो० खलीलपुर थाना सीबीगंज जनपद बरेली 02. विजय उर्फ कल्लू पुत्र कैलाश निवासी इन्द्रानगर कालोनी वाल्मिकि मन्दिर के पास कस्बा व थाना सीबीगंज बरेली को इन्द्रा नगर कालोनी को इन्द्रानगर के पीछे बने ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 नाजायज चाकू व अभियोग से सम्बन्धित एक मोबाइल फोन ओपपो बरामद हुआ। गिरफ्तार शुदा अभि०गण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभि०गण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम दोनो रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों व बच्चों से फोन छीनकर भाग जाते हैं। यह मोबाइल ओपपो हम दोनो के द्वारा खलीलपुर तिराहे के सामने से पैदल जा रहे एक व्यक्ति के हाथ से दिनांक 18.03.25 को छीनकर सिम निकालकर फेंक दिया था तथा मोबाइल को ग्राउण्ड में ही ईटों के नीचे छिपा दिया था। बरामद चाकू के बारे में पूछने पर बताया कि हम दोनो यह चाकू अपने पास लोगो से मोबाइल छीनने समय पकड़े जाने पर उनको डराने के लिए रखते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. शुलभ सिंह पुत्र वेदपाल सिंह निवासी शिवज्ञान मन्दिर इन्टर कालेज के सामने गली में मो० खलीलपुर थाना सीबीगंज जनपद बरेली
2. विजय उर्फ कल्लू पुत्र कैलाश निवासी इन्द्रानगर कालोनी वाल्मिकि मन्दिर के पास कस्बा व थाना सीबीगंज बरेली

बरामदगी का विवरण:-

1. एक मोबाइल ओपपो
2. दो चाकू नाजायज

आपराधिक इतिहास:- अभि० शुलभ सिंह पुत्र वेदपाल सिंह उपरोक्त

1. मु०अ०सं० 130/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सीबीगंज बरेली
2. मु०अ०सं० 363/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना सीबीगंज बरेली

आपराधिक इतिहास:- अभि० विजय उर्फ कल्लू पुत्र कैलाश उपरोक्त

1. मु०अ०सं० 130/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सीबीगंज बरेली
2. मु०अ०सं० 328/23 धारा 380/411 आईपीसी थाना सीबीगंज बरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक सुरेश चन्द्र गौतम थाना सीबीगंज जनपद बरेली
2. उ०नि० श्री रविन्द्र सिंह थाना सीबीगंज जनपद बरेली
5. का० 3048 भगत सिंह थाना सीबीगंज जनपद बरेली
6. का० 3860 रवि कुमार थाना सीबीगंज जनपद बरेली
7. का० 2769 सुधीर कुमार थाना सीबीगंज जनपद बरेली